परिपत्र संख्या-119/2026-SGST
F.No-CRISP (Scrutiny)- / /2026-SGST

उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य कर विभाग

जीएसटी अनुभाग

लखनऊ::दिनांक:: 06 जुलाई, **2026**

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,

समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर,

समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः-क्रॉस रैण्डमाईजेशन इम्पार्शियल सक्रूटिनी प्लेटफार्म (CRISP) के माध्यम से वार्षिक रिटर्न सक्रूटिनी के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वित्तीय वर्ष में दाखिल रिटर्नों की वार्षिक रूप से अधिनियम की धारा-61 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रॉपर अधिकारी द्वारा सक्रूटिनी किया जाना राजस्व हित में अपेक्षित है। वर्तमान व्यवस्था में खण्ड में तैनात अधिकारियों द्वारा अपने खण्ड में पंजीकृत करदाताओं की ही सक्रूटिनी की जाती है। राज्य में पंजीकृत करदाताओं के व्यापार की असमान प्रकृति एवं टर्नओवर होने के कारण रिटर्न सक्रूटिनी का भार भी असमान रूप से अधिकारियों के मध्य वितरित होता है, ऐसी स्थिति में रिटर्न सक्रूटिनी की प्रक्रिया में करदाताओं एवं अधिकारियों के मध्य सक्रूटिनी के मानकों की एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकारियों की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, कार्यभार का न्यायसंगत वितरण करने, विभागीय अधिकारियों की विभिन्न बिजनेस सेक्टर में दक्षता सम्बर्द्धन तथा वर्तमान रिटर्न सक्रूटिनी की व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रैण्डमाईजेशन के आधार पर रिटर्न सक्रूटिनी कराया जाना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में पंजीकृत करदाताओं की वार्षिक रिटर्न सक्रूटिनी प्रक्रिया में खण्ड में कार्यरत अधिकारियों के कार्य में एकरूपता लाने के उद्देश्य से रैन्डमाईज्ड सक्रूटिनी की व्यवस्था लागू की जाती है। रिटर्न सक्रूटिनी की यह व्यवस्था वार्षिक सक्रूटिनी हेतु लागू होगी।

इस प्रकिया के सफलतापूर्वक संचालन हेतु निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं-

1. वार्षिक रूप से जीएसटी रिटर्न्स के सक्रूटिनी की प्रक्रिया को मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग द्वारा विकसित मॉडयूल "क्रॉस रैण्डमाईजेशन इम्पार्शियल सक्रूटिनी प्लेटफार्म (CRISP)" के माध्यम से संचालित किया जायेगा।
2. CRISP के माध्यम से फर्मों को रैन्डमाईज्ड करते हुए समान रूप से उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त के लॉग-ईन पर सक्रूटिनी हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
3. सक्रूटिनी की इस व्यवस्था में CRISP द्वारा राउण्ड रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन से सक्रूटिनी हेतु चयनित किसी अन्य खण्ड का उपायुक्त राज्य कर अथवा सहायक आयुक्त राज्य कर को Review officer कहा जायेगा।

4. अन्वेषण (Investigation) एवं विशेष लेखा परीक्षा (Special Audit) के प्रकरण अर्थात् उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत आने वाले मामले, संयुक्त आयुक्त (कारपोरेट) के लॉग-ईन पर प्रचलित प्रकरण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय /माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों से सम्बन्धित मामले, धारा 67 के अन्तर्गत निरीक्षण/तलाशी से उत्पन्न मामलों में रैन्डमाईजेशन प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

5. Review Officer द्वारा CRISP के माध्यम से आवंटित फर्म के स्क्रूटिनी के उपरान्त विसंगतियों को युक्तियुक्त कारणों के साथ ड्राफ्ट ASMT-10 प्रारूप में एक माह के अंदर मॉडयूल पर दर्ज करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु फर्म के प्रॉपर अधिकारी के लॉग-ईन पर प्रेषित किया जायेगा।

6. Review Officer द्वारा प्रेषित ड्राफ्ट ASMT-10 की बिन्दुवार जांच करते हुए परिणाम (स्वीकार/संशोधन/अस्वीकार) को प्रॉपर अधिकारी द्वारा युक्ति-युक्त कारण सहित मॉडयूल पर अनिवार्यतः दर्ज किया जायेगा।

7. प्रॉपर अधिकारी द्वारा ड्राफ्ट ASMT-10 के परीक्षण एवं संशोधन के उपरांत ASMT-10 जारी किया जायेगा तथा ASMT-10 जारी करने के उपरांत उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम एवं तदाधीन निर्मित नियमावली में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप Statutory Proceedings की कार्यवाही करते हुए माड्यूल में अंकित की जायेगी।

8. जोनल अपर आयुक्त द्वारा मॉडयूल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर CRISP के माध्यम से आवंटित प्रकरण की संख्या, Review Officers के पास लम्बित रिपोर्ट, स्क्रूटिनी हेतु प्रॉपर अधिकारी के पास लम्बित रिपोर्ट, जारी नोटिस की स्थिति, अस्वीकृत अथवा ड्राप की गयी नोटिस, निर्धारित समय-सीमा से विलम्बित प्रकरण एवं CRISP के माध्यम से प्रेषित प्रकरण में कृत कार्यवाही से हुई राजस्व वसूली आदि बिन्दुओं का अनुश्रवण किया जायेगा।

9. पर्यवेक्षक जोनल अपर आयुक्त द्वारा अपनी पर्यवेक्षण रिपोर्ट मुख्यालय के जीएसटी अनुभाग को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

रैन्डमाईज्ड स्क्रूटिनी की इस नई प्रक्रिया के क्रम में समस्त विभागीय अधिकारियों द्वारा एक समान क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु CRISP की बुनियादी अवधारणा एवं वर्क फ्लो चार्ट इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

<u>संलग्नक::-उपरोक्तानुसार।</u>

Digitally signed by
NITIN BANSAL
Date: 06-07-2026
14:40:23

(डा0 नितिन बंसल)

आयुक्त , राज्य कर

उत्तर प्रदेश।

Process and Work Flow

विषय: Annual Return Scrutiny **में** CRISP — Cross-Zone Randomized Impartial Scrutiny Platform **के प्रथम चरण में** Rollout **के संबंध में।**

---

1. पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल returns की scrutiny राजस्व हित में एक महत्वपूर्ण statutory function है। वर्तमान व्यवस्था में सामान्यतः जिस खण्ड/क्षेत्राधिकार में करदाता पंजीकृत है, उसी jurisdictional proper officer द्वारा return scrutiny की जाती है।

राज्य में करदाताओं की संख्या, turnover, व्यापार की प्रकृति, risk profile तथा compliance behaviour सभी जोन एवं खण्डों में समान नहीं हैं। इसके कारण कुछ अधिकारियों के login पर scrutiny cases की संख्या अधिक रहती है, जबकि कुछ अधिकारियों पर तुलनात्मक रूप से कम कार्यभार रहता है। इस असमानता से workload imbalance, disposal delay, notice quality variation तथा supervisory monitoring में कठिनाई उत्पन्न होती है।

इसी पृष्ठभूमि में return scrutiny प्रक्रिया को अधिक transparent, impartial, workload-balanced तथा capacity-building oriented बनाने के उद्देश्य से **CRISP — Cross-Zone Randomized Impartial Scrutiny Platform** विकसित किया गया है।

---

2. CRISP की मूल अवधारणा

CRISP एक system-driven platform है, जिसके माध्यम से scrutiny cases को randomization तथा round-robin based load balancing के आधार पर officers के मध्य distribute किया जाएगा।

CRISP का उद्देश्य केवल cases का allocation नहीं है, बल्कि scrutiny प्रक्रिया में निम्न उद्देश्यों को सुनिश्चित करना है:

1. impartiality;
2. uniformity;
3. officer exposure;

4. analytical capacity building;
5. workload balancing;
6. effective action tracking and supervisory monitoring.

CRISP के माध्यम से किसी भी case को उसी zone/खण्ड के अधिकारी को review हेतु assign नहीं किया जाएगा। Case को same designation/equivalent level के किसी अन्य zone के officer को review हेतु भेजा जाएगा, ताकि local familiarity तथा possible influence को कम किया जा सके।

---

3. प्रथम चरण में लागू क्षेत्र

CRISP को प्रारम्भिक चरण में केवल वर्ष 2024-2025 के लिए **Annual Return Scrutiny** के मामलों में लागू किया जाएगा। यह statewide first rollout होगा, इसलिए इसका implementation carefully monitored और phased manner में किया जाएगा।

प्रथम चरण का उद्देश्य होगा:

1. CRISP workflow को field conditions में test करना;
2. officers को नए system से familiar कराना;
3. randomization एवं load balancing logic की व्यावहारिक उपयोगिता को validate करना;
4. Review Officer और jurisdictional proper officer की भूमिका को स्पष्ट रूप से operationalize करना;
5. MIS monitoring, action tracking और supervisory review को stabilize करना।

Annual Return Scrutiny में सफल implementation के बाद ही CRISP को क्रमिक रूप से **Monthly Return Scrutiny Module** में लागू करने पर विचार किया जाएगा।

---

4. JC Corporate Offices के संबंध में व्यवस्था

JC Corporate offices को प्रथम चरण में CRISP framework से बाहर रखा जाएगा। अतः Corporate Circle/Corporate Office से संबंधित scrutiny cases CRISP rollout के अंतर्गत randomization या cross-zone review हेतु नहीं भेजे जाएंगे।

5. Proper Officer और Review Officer की भूमिका

CRISP के अंतर्गत दो distinct roles रहेंगे:

5.1 CRISP Review Officer

CRISP Review Officer वह officer होगा जिसे CRISP द्वारा randomization और load balancing के आधार पर किसी अन्य zone/खण्ड का case scrutiny हेतु assign किया जाएगा।

CRISP Review Officer की जिम्मेदारियाँ होंगी:

1. assigned case का analytical scrutiny करना;
2. return data, mismatch details, annual return particulars तथा available records का परीक्षण करना;
3. discrepancies को structured manner में identify करना;
4. ASMT-10 draft/scrutiny points उपलब्ध कराना;
5. अपनी reasoned recommendation system के माध्यम से jurisdictional proper officer को भेजना;
6. हर recommendation के साथ brief reasons दर्ज करना।

CRISP Review Officer taxpayer से कोई direct/indirect communication नहीं करेगा और कोई statutory notice issue नहीं करेगा।

5.2 Jurisdictional Proper Officer

Jurisdictional proper officer वह officer होगा जिसके jurisdiction में taxpayer registered है और जो अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत scrutiny notice जारी करने एवं आगे की statutory proceedings करने हेतु competent है।

Jurisdictional proper officer की जिम्मेदारियाँ होंगी:

1. CRISP Review Officer द्वारा भेजी गई report/recommendation का स्वतंत्र परीक्षण करना;
2. independent application of mind apply करना;
3. ASMT-10 जारी करने या न करने का decision लेना;

4. taxpayer reply पर विचार करना;
5. ASMT-11/ASMT-12/DRC-03 verification तथा आगे की statutory proceedings करना;
6. CRISP report को accept, modify, reject, drop या pending रखने की स्थिति में reasons record करना।

---

6. कार्यप्रणाली

CRISP के माध्यम से nominated officer केवल review/discrepancy identification का कार्य करेगा। Statutory scrutiny notice जारी करने की authority jurisdictional proper officer के पास ही रहेगी।

इससे legal position सुरक्षित रहेगी, क्योंकि proper officer की statutory authority transfer नहीं होगी। साथ ही, cross-zone review के माध्यम से scrutiny process में एक independent analytical layer जोड़ी जाएगी।

इस model में CRISP का उद्देश्य होगा:

1. case का impartial analytical review कराना;
2. discrepancies को structured manner में identify करना;
3. jurisdictional proper officer को better-quality scrutiny input उपलब्ध कराना;
4. proper officer को final statutory decision लेने हेतु सक्षम बनाना;
5. प्रत्येक CRISP report पर action tracking सुनिश्चित करना।

---

7. CRISP के अंतर्गत Process Flow

Step 1: Case Identification

Annual Return Scrutiny के लिए case Headquarters द्वारा चिन्हित किए जाएंगे।

Step 2: CRISP Pool Creation

Eligible annual scrutiny cases को CRISP pool में भेजा जाएगा। इस चरण में Corporate cases को exclude किया जाएगा।

Step 3: Officer Pool Creation

System designation-wise officer pool तैयार करेगा। DC level cases DC officers के pool में, AC level cases AC officers के pool में रखे जाएंगे।

Step 4: Same Zone Exclusion

जिस zone/खण्ड में taxpayer registered है, उस zone के officer को scrutiny के लिए eligible नहीं माना जाएगा।

Step 5: Randomization and Round-Robin Allocation

System cases और eligible officers को randomize करेगा तथा round-robin logic के आधार पर cases scrutiny हेतु allocate करेगा, ताकि workload equitable manner में distribute हो सके।

Step 6: Review by CRISP Review Officer

Review Officer assigned case का return data/mismatch details/relevant records examine करेगा और discrepancies की बिंदुवार समीक्षा करेगा।

Step 7: Review Officer Decision

Review Officer discrepancies को reasoning/ recommendation के साथ system में दर्ज करेगा:

Step 8: Transmission to Jurisdictional Proper Officer

Review Officer की recommendation system के माध्यम से jurisdictional proper officer के login पर भेजी जाएगी।

Step 9: Independent Application of Mind by Proper Officer

Jurisdictional proper officer Review Officer की report का स्वतंत्र परीक्षण करेगा। वह report को accept, modify, reject, drop या pending रख सकता है, परंतु कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा।

Step 10: Issuance of ASMT-10

यदि jurisdictional proper officer संतुष्ट होता है, तो ASMT-10 केवल उसी के द्वारा जारी किया जाएगा।

Step 11: Further Proceedings

Taxpayer reply, ASMT-11, ASMT-12, DRC-03 verification तथा अन्य statutory proceedings jurisdictional proper officer द्वारा ही की जाएंगी।

---

8. Action Tracking

CRISP की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार action tracking होगा। Review Officer द्वारा identify की गई कोई भी discrepancy बिना record के समाप्त नहीं होनी चाहिए।

Jurisdictional proper officer को प्रत्येक CRISP Review Report पर निम्न action status दर्ज करना होगा:

1. Accepted — ASMT-10 issued;
2. Accepted with modification-- ASMT-10 issued;
3. Rejected with reasons;
4. Already covered in another proceeding;
5. Kept pending with reasons;
6. Dropped with speaking reasons.

इससे यह सुनिश्चित होगा कि CRISP से प्राप्त input को बिना कारण ignore, dilute या suppress नहीं किया जा सके।

---

9. Review Officer के Motivation और Accountability हेतु व्यवस्था

चूंकि CRISP Review Officer अपने normal jurisdictional work के साथ-साथ additional review responsibility भी निभाएगा, इसलिए उसके कार्य को clerical assistance नहीं माना जाएगा। उसका कार्य independent analytical review के रूप में record किया जाएगा।

MIS में Review Officer के निम्न performance indicators capture किए जाएंगे:

1. review किए गए cases की संख्या;
2. समय से submit की गई reports;
3. identified discrepancies की quality;
4. proper officer द्वारा accepted reports;
5. revenue relevance;
6. supervisory remarks, जहाँ आवश्यक हो।

इससे Review Officer को institutional recognition मिलेगा और CRISP केवल additional burden न रहकर capacity-building mechanism बनेगा।

10. Jurisdictional Proper Officer की Accountability

Jurisdictional proper officer को CRISP report पर timely action लेना होगा। यदि वह Review Officer की discrepancy को modify, reject या drop करता है, तो उसे brief but reasoned remarks दर्ज करने होंगे।

MIS में proper officer के निम्न points monitor किए जाएंगे:

1. CRISP report पर action लेने में delay;
2. कितने reports पर ASMT-10 जारी किया गया;
3. कितने reports modify/reject/drop किए गए;
4. recovery/DRC-03 linkage;
5. pending action beyond prescribed timeline.

---

11. Supervisory Monitoring

Joint Commissioner (Executive) as Supervisory Officer, CRISP module पर उपलब्ध MIS के आधार पर नियमित monitoring करेंगे। Monitoring के मुख्य बिंदु होंगे:

1. CRISP के माध्यम से allocate cases की संख्या;
2. Review Officer के पास pending reports;
3. Proper Officer के पास pending action;
4. issued ASMT-10 notices;
5. modified/rejected/dropped reports;
6. delayed cases;
7. CRISP input से linked revenue recovery.

Zonal Additional Commissioner प्रत्येक माह की 15 तारीख तक Headquarters को supervisory report भेजेंगे।

12. प्रथम Rollout के लिए विशेष Safeguards

चूंकि CRISP पहली बार State में लागू किया जा रहा है, इसलिए निम्न safeguards अपनाए जाएंगे:

1. initial phase में controlled number of cases allocate किए जाएंगे;
2. officers को orientation/training दी जाएगी;
3. field feedback लिया जाएगा;
4. first cycle के बाद workflow review किया जाएगा;
5. आवश्यकतानुसार SOP और module में सुधार किया जाएगा;
6. randomization और allocation logs सुरक्षित रखे जाएंगे;
7. आवश्यकता होने पर algorithm/logs का third-party audit कराया जा सकेगा

---

13. अपवाद

निम्न मामलों में CRISP लागू नहीं होगा:

1. investigation cases;
2. special audit under Section 66;
3. inspection/search related matters under Section 67;
4. Hon'ble High Court/Hon'ble Supreme Court के directions वाले matters;
5. Corporate JC offices/Corporate cases in initial phase;
6. competent authority द्वारा excluded कोई अन्य category.

---

14. मुख्य सिद्धांत

CRISP implementation निम्न सिद्धांत पर आधारित होगा:

"Review Officer analytical input देगा, पर statutory action jurisdictional proper officer द्वारा ही लिया जाएगा। कोई भी CRISP discrepancy बिना recorded action के समाप्त नहीं होगी।"

15. निष्कर्ष

CRISP का प्रथम चरण Annual Return Scrutiny में लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य scrutiny process को अधिक impartial, transparent, workload-balanced और capacity-building oriented बनाना है।

Successful implementation के पश्चात इसे Monthly Return Scrutiny Module में क्रमिक रूप से लागू किया जा सकेगा।

सभी संबंधित अधिकारी CRISP workflow, timelines, action tracking, MIS monitoring और supervisory reporting का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।